


15-4-21

पताबली पेश हुई। वकील वादी व प्रजेवादी अनुपायेत /
वादी व प्रजेवादी अनुपायेत। आवाज लगावाई गई।
आवाज आवाज लगावने के बाद वादी व
वकील वादी अनुपायेत। तथा वकील वादी द्वारा
पेशायेत शीर्षक की तस्वीर हेतु दिनांक 13/1/19
को आन्तिम अवसर देने के बाद भी वादी वकील
द्वारा तस्वीराना नोटिस पेश नहीं किया है। तस्वीर
का अभाव व वादी व वकील वादी अनुपायेत व
आने पर पताबली अदम हाजरी. अदम परकी
में खारिज की जाती है। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया। पताबली ने सल सुभाह होकर
राम्बर से काम होना दायित्व दफ्तार हो


अधिवक्ता अधिकारी
सोमर लेक

